# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी ( भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 11/2021
आमीना पत्नि सपात खाँ जाति मेव निवासी ग्राम नौसेरा तहसील नूँह (हरियाणा)

अपीलान्ट

बनाम

ग्राम पंचायत पहाडी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत पहाडी तहसील पहाडी

रैस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 आर0 एल0आर0 एक्ट
विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 106 दिनांक 22/03/2021
ग्राम पंचायत पहाडी तहसील पहाडी

1. श्री मौहम्मद खाँ वकील अपीलान्ट

दिनांक :— 22/04/2022

## निर्णय

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 आर0 एल0आर0 एक्ट के तहत विरूद्ध रैस्पोडेन्टस इस आशय की पेश की कि आराजी खसरा नम्बर 2491/3.11 बांके ग्राम पहाडी द्वितीय तहसील पहाडी में स्थित है। अपीलान्ट ने उक्त आराजी कमलजीत पुत्र सिकन्दर लाल जाति खत्री निवासी पहाडी से जरिये बयनामा दिनांक 28/08/2019 को खरीद की थी आराजी मुत0 पर अपीलान्ट का कब्जा व काश्त है अपीलान्ट ने अपने उक्त बयनामा का दाखिल खारिज कराने बाबत पटवारी हल्का को दिया था पटवारी हल्का एवं आईएलआर ने अपीलान्ट के उक्त बयनामा की बिना जाँच किये दाखिल खारिज पर नोट लगाया कि रजिस्टर्ड बयनामा का रिकॉर्ड अनुसार हिस्सा मिलान सही नहीं है। जबकि बयनामा के अन्दर किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड सही है परन्तु पटवारी व गिरदावर की इस तरह का नोट अपीलान्ट को तंग व परेशान करने की गरज से लगाया है जो गैरकानूनी है इसलिए मुताबिक बयनामा अपीलान्ट के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कराया जावे । रैस्पोडेन्ट ने बिना जाँच व अवलोकन किये

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with CamScanner

बयनामा का दाखिल खारिज निरस्त कर कानूनी भूल की हैं इसलिए ग्राम पंचायत का आदेश निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि ग्राम पंचायत के आदेश दिनांक 22/03/2021 को मनसूख किया जाकर मुताबिक बयनामा अपीलान्ट के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्ट्रर की जाकर रैस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । रैस्पोडेन्ट बाबजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं आया । उसके विरूद्ध दिनांक 04/04/2022 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस वकील अपीलान्ट सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों दोहराया है। हमने बहस वकील अपीलान्ट पर मनन किया, राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में नामान्तरण संख्या 106 दिनांक 22.03.2021 को खारिज करने का निवेदन किया गया है। ग्राम पंचायत पहाड़ी द्वारा अपीलान्ट के बयनामा की बिना जाँच किये दाखिल खारिज पर नोट लगाया कि रजिस्टर्ड बयनामा का रिकॉर्ड अनुसार हिस्सा मिलान सही नहीं है। जबकि बयनामा के अन्दर किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड सही है। ग्राम पंचायत पहाड़ी द्वारा इस संबंध में अपने निर्णय में कोई तथ्य या टिप्पणी का उल्लेख नहीं किया गया है। जिससे यह स्पष्ट होता हो कि बयनामा में हिस्से का मिलान किस प्रकार नहीं हो रहा है। इसलिए ग्राम पंचायत पहाड़ी द्वारा नामान्तरण गलत खारिज किया गया है। इसके कारण आज भी राजस्व रिकॉर्ड में भूमि विक्रेता के नाम दर्ज है। जो कि विधि के विपरीत है। अतः पुनः नामान्तरण खोला जाना आवश्यक है।

अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आज्ञा नामान्तरण संख्या 106 दिनांक 20/06/2005 सरपंच ग्राम पंचायत पहाड़ी को निरस्त किया जाता है। पत्रावली तहसीलदार पहाड़ी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे बयनामा की जाँच कर एवं उभयपक्षकारान को सुनकर पुनः नामान्तकरण की कार्यवाही करे। निर्णय प्रति तहसीलदार पहाड़ी को पालनार्थ भेजी जावें।

निर्णय निर्णय आज दिनांक 22/04/2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with CamScanner